02 लाख रुपये का पुरस्कार देने के घोषणा की है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने नौवीं कक्षा की छात्रा वी. अभिनय को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (नासा) जाने के लिए। अभिनव अमेरिका में एक सेमिनार में भी हिस्सा लेगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 25 फरवरी 2020

झारखंड में सिर्फ स्थायी निवासियों को ही मिलेगा आरक्षण : हाई कोर्ट

फैसला ▶ दो जजों ने कहा– दूसरे प्रदेश के लोग किसी प्रकार के आरक्षण के हकदार नहीं

एक जज ने कहा– एकीकृत बिहार से ही राज्य में रहने की वजह से मिलेगा लाभ

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड में केवल स्थायी निवासियों को ही आरक्षण को लाभ मिलेगा। यह फैसला झारखंड हाई कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने सुनाया है। हालांकि, एक जज इससे असहमत हैं। हाई कोर्ट की पीठ ने पिछले साल अक्टूबर में इस मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। जस्टिस एचसी मिश्र ने अपने आदेश में कहा, प्रार्थी एकीकृत बिहार के समय से ही झारखंड क्षेत्र में रह रहा है, इसलिए उसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यह कहते हुए उन्होंने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया और प्रार्थियों को नौकरी में बहाल करने का आदेश दिया। इसके बाद जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीर सिंह के मामले में

झारखंड हाईकोर्ट। फाइल

दिए गए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि एक राज्य का निवासी दूसरे राज्य में आरक्षण का हकदार नहीं होगा। यही आदेश जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति का भी था। इसके बाद दोनों जजों ने प्रार्थियों की अपील को खारिज करते हुए सरकार के पक्ष को सही माना।

मूल निवासियों को ही आरक्षण : सरकार

पूर्व में सुनवाई के दौरान पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया था कि एकीकृत बिहार या 15 नवंबर 2000 से राज्य में रहने के बाद भी वैसे लोग आरक्षण के हकदार नहीं होंगे, जिनका मूल झारखंड नहीं होगा। आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हें ही मिलेगा, जो झारखंड मूल निवासी होंगे। जहां तक 18 अप्रैल 2016 से लागू स्थानीय नीति का सवाल है, तो जो लोग इसकी परिधि में आते हैं, उन्हें सिर्फ सामान्य कैटगरी में ही विचार किया जा सकता है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के बीर सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले में दिए गए आदेश का हवाला देते हुए बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा है कि माइग्रेटेड (बाहरी) राज्य से आने वाले लोगों को दूसरे राज्य में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में एकलपीठ का आदेश बिल्कुल सही है। दरअसल, एकलपीठ ने पूर्व में प्रार्थियों की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि उनके सभी सर्टिफिकेट बिहार के हैं, ऐसे में उन्हें राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

यह है मामला : झारखंड में सिपाही की बहाली हुई थी। इस दौरान बिहार के स्थायी निवासियों ने आरक्षण का लाभ लिया था। बाद में मामला उजागर होने पर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद 2018 में पंकज कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। एकलपीठ ने सरकार के फैसले को खारिज करते हुए उन्हें बहाल करने का निर्देश दिया। इसके बाद सरकार ने खंडपीठ में अपील दाखिल की थी। वहीं, रंजीत कुमार सहित सात अभ्यर्थियों ने नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने पर हाई कोर्ट की शरण ली थी। एकलपीठ ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी थी। इन्होंने भी खंडपीठ में अपील दाखिल की थी।

फैसले का असर : अब बिहार और अन्य किसी राज्य में आरक्षण का हकदार व्यक्ति झारखंड में आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। साथ ही ऐसा कोई जिसकी जाति झारखंड में आरक्षण के दायरे में अधिसूचित नहीं है, वह भी लाभ का हकदार नहीं है। लाभ के लिए जाति प्रमाणपत्र झारखंड का होना चाहिए। राज्य में जाति प्रमाण पत्र उसका ही बनता है जो स्थानीय है। पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने स्थानीयता की कट ऑफ डेट 1985 तय की थी।

दुनिया देखेगी रामलला का भव्य जन्मोत्सव

रमाशरण अवस्थी, अयोध्या

- वर्षों बाद वैकल्पिक गर्भगृह में होगा आयोजन, शामिल हो पाएंगे श्रद्धालु, लाइव प्रसारण भी होगा
- रामनगरी में कई जगह लगाई जाएंगी एलईडी स्क्रीन

भव्य राममंदिर निर्माण की तैयारियों के बीच सांस्कृतिक गौरव भी परवान चढ़ने लगा है। निर्माण कार्य पूरा होने तक रामलला को वैकल्पिक गर्भगृह में शिफ्ट करने के साथ ही दो अप्रैल को आयोजित श्रीराम जन्मोत्सव वर्षों बाद भव्य-दिव्य और रंगारंग तरीके से मनेगा। इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। भजन-कीर्तन के रूप में संगीत की सभा सजेगी। जो श्रद्धालु रामनगरी नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए जन्मोत्सव का लाइव प्रसारण होगा। साथ ही रामनगरी के दर्जनों सार्वजनिक स्थलों पर लगी बड़ी स्क्रीन के जरिए भी लोग जन्मोत्सव के उल्लास में सराबोर हो पाएंगे।

पूर्व में आक्रांताओं के आघात और फिर देश की आजादी के बाद अदालती विवाद के चलते रामलला के गौरव से पूरी दुनिया वंचित थी। कहने को प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को दुनियाभर के रामभक्त श्रीराम जन्मोत्सव मनाते रहे हैं, पर इस उत्सव से रामलला की जन्मभूमि ही अछूती रह जाती थी। अस्थाई मंदिर में विराजे रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाता था लेकिन, इसमें उल्लास गुम था। कड़ी सुरक्षा और नियमों की बेड़ियों के कारण गिने-चुने श्रद्धालु ही राम के प्रति अनुराग जाहिर कर पाते थे। अब परिदृश्य बदल चुका है। नौ नवंबर को सुप्रीम फैसले के बाद भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी शुरू हो गई हैं। अगले तीन साल मंदिर निर्माण तक यह गर्भगृह भले वैकल्पिक रहेगा मगर, रामलला की गौरव-गरिमा का समुचित ख्याल रखा जाएगा। इसी कड़ी में उनका जन्मोत्सव भी भव्यता से मनाने की तैयारी हो रही है।

वैकल्पिक गर्भगृह बनाने का काम शुरू

संसू, अयोध्या : रामलला के वैकल्पिक गर्भगृह के लिए सोमवार को भूमि का समतलीकरण शुरू हो गया। यह भूमि अधिगृहीत परिसर के डी-3 प्वाइंट पर है। फिलहाल, इस भूमि पर टीन शेड लगा है और समतलीकरण की प्रक्रिया के तहत इसे हटाया जा रहा है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की योजना वासंतिक नवरात्र से पूर्व वैकल्पिक गर्भगृह का निर्माण पूर्ण कर रामलला को वहां शिफ्ट करने की है। इसके बाद स्थायी मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा।

अभी तक थीं बंदिशें : 1992 में ढांचा ध्वंस के बाद अस्थाई मंदिर में विराजे रामलला का जन्मोत्सव प्रतीकात्मक होता था और अदालती आदेश तथा सुरक्षा संबंधी बंदिशों के चलते इस उत्सव में रामलला के पुजारी-सेवादार सहित कुछ लोग ही शामिल हो पाते थे।

नवरात्र में स्थापित होंगे रामलला : श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव एवं विहिप के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय के अनुसार, 25 मार्च से शुरू हो रहे नवरात्र के दौरान रामलला वैकल्पिक गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे। यहां भी पूजा की खास व्यवस्था रहेगी।

कनक भवन रहा उत्सव का केंद्र : कभी श्रीराम जन्मोत्सव के केंद्र में कनक भवन हुआ करता था। मान्यता है कि रानी कैकेयी ने सीता जी को यह महल मुंह दिखाई में दिया था। करीब 175 साल पहले इस धरोहर का नवीनीकरण मप्र स्थित ओरछा रियासत की महारानी वृषभान कुंवरि ने कराया था। श्रीराम जन्मभूमि विवाद की वजह से कनक भवन सदियों से रामभक्तों की प्रधानतम पीठ के रूप में प्रतिष्ठित रहा है।

न्यूज गैलरी

फर्जी मिला सोलापुर से भाजपा सांसद का जाति प्रमाणपत्र

सोलापुर : महाराष्ट्र सरकार की जाति वैधता समिति ने सोमवार को सोलापुर से भाजपा सांसद जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामी का जाति प्रमाणपत्र फर्जी बताकर खारिज कर दिया। इससे उनके इस सीट से सांसद बने रहने पर सवालिया निशान लग गया है। ज्ञानदेव सुल की अध्यक्षता और छाया गाडेकर और संतोष जाधव की सदस्यता वाली तीन सदस्यीय समिति ने अपने 20 फरवरी के आदेश में स्वामी के दावे को खारिज कर दिया और जनवरी, 1982 में जारी उनके जाति प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया। समिति ने कहा कि स्वामी ने अपने चुनावी हलफनामे में फर्जी प्रमाणपत्र दाखिल किया था। समिति ने अक्कलकोट (सोलापुर) जिला प्रशासन को उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। पिछले साल जून में प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) के नेता प्रमोद आर. गायकवाड़, विनायक बी. कांदकुरे और मिलिंद एम. मुले ने स्वामी के चुनावी हलफनामे पर सवाल उठाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद समिति ने स्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। गायकवाड़ का दावा था कि स्वामी ने अपने जाति प्रमाणपत्र में खुद को 'बेडा जंगम' समुदाय का बताया था जो अजा के तहत आते हैं जबकि उनका भतीजा योगेश्वर सिद्धमायला 'हिंदू बेडा जंगम' समुदाय से है जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। गायकवाड़ का कहना था, 'एक ही परिवार के दो लोगों के पास अलग-अलग जाति प्रमाणपत्र कैसे हो सकते हैं।' (आइएएनएस)

इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजे जाएंगे लालू

रांची : राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के पेइंग वार्ड में इलाज करा रहे चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता राजद प्रमख लालू प्रसाद को बेहतर चिकित्सा के लिए जल्द दिल्ली एम्स भेजा जाएगा। सोमवार को एम्स भेजने को लेकर आठ सदस्यीय डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। 27 फरवरी को मेडिकल बोर्ड लालू प्रसाद की वर्तमान रिपोर्टों की समीक्षा करेगा। रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर अगले दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जांच कर अपना फैसला रिम्स प्रबंधन को सौंपेंगा। मेडिकल बोर्ड के फैसले पर ही लालू को एम्स भेजने पर स्वीकृति दी जाएगी। मेडिकल बोर्ड के गठन को लेकर रिम्स प्रबंधन ने जेल अधीक्षक को उनकी मेडिकल रिपोर्ट भेजते हुए सहमति देने की बात कही थी। जेल प्रशासन से सहमति मिलने के बाद बोर्ड का गठन किया गया है। (जासं)

महाविकास अघाड़ी के घटक दलों में कोई दरार नहीं : उद्धव

- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भाजपा के आरोपों पर दी सफाई
- गठबंधन के साझेदारों से आपसी सहयोग को मजबूत करने का किया आह्वान

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के अलग-अलग सुर और भाजपा के सियासी हमलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को सफाई दी है। उन्होंने गठबंधन में दरार संबंधी भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच में सबकुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है।

महाविकास अघाड़ी के घटक दलों शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस के विधायकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि पिछले तीन महीनों से उनके बीच बेहतर समन्वय और सहयोग बना हुआ है। उन्होंने गठबंधन के साझेदारों से आपसी सहयोग को आगे और मजबूत करने का भी आह्वान किया।

एक मंत्री के अनुसार उद्धव ने बैठक में कहा, 'हालिया दिल्ली दौरे के क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात अच्छी रही। करीब एक घंटे तक हमने हर मुद्दे पर बातचीत की।' उद्धव ने विधायकों से यह भी कहा कि वह राकांपा प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस नेतृत्व से नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं। इसलिए, भाजपा के दरार संबंधी बयान पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फूले कृषि ऋण माफी योजना पर सोमवार से क्रियान्वयन शुरू हो गया है।

उद्धव ठाकरे। फाइल

दो लाख रुपये तक के कर्जदार और पात्र किसानों का कर्ज 31 मार्च तक माफ कर दिया जाएगा।

सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनपीआर), नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और वीडी सावरकर को सम्मान देने जैसे मुद्दों पर तीनों दलों की समन्वय समिति की बैठक में विचार किया जाएगा। शिवसेना के एक मंत्री ने कहा, 'भाजपा को वीर सावरकर को भारत रत्न देने दें। हम केंद्र के समर्थन में बधाई प्रस्ताव लाएंगे।'

झारखंड में पत्थलगड़ी के 30 मामले वापस लेने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड के तीन जिलों ने पत्थलगड़ी से संबंधित मुकदमा वापस लेने की तैयारी कर ली है। सरकार के आदेश पर स्क्रीनिंग कमेटी ने खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला-खरसावां जिलों में 30 मामलों की समीक्षा की है और उससे संबंधित रिपोर्ट तैयार की है। हेमंत सरकार की पहली कैबिनेट में ही यह निर्णय लिया गया था कि पत्थलगड़ी से संबंधित मामलों को सरकार वापस लेगी। इसके बाद सरकार के आदेश पर सभी जिलों में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई। जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद उस पर विधि विभाग का मंतव्य लिया जाएगा और उसके बाद ही मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।

बता दें कि संविधान की गलत व्याख्या कर भोलेभाले ग्रामीणों को भड़का कर कुछ असामाजिक तत्वों ने गांव-गांव में पत्थलगड़ी की थी। विधि व्यवस्था का संकट उत्पन्न होने पर प्रशासन ने कड़े कदम उठाए थे और प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जनजातीय समाज में किसी के मरने और जाति से निष्कासित होने जैसे मामलों को लेकर गांव में या गांव की सीमा पर पत्थलगड़ी की परंपरा है। 2016-17 में यूसुफ पूर्ति और बबिता कच्छप जैसे स्वयंभू नेताओं के बहकावे में आकर ग्रामीणों ने कई गांवों में पत्थलगड़ी कर अधिकारियों और गैरआदिवासियों के गांव में प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी।

अगले माह शुरू होगी शिलाओं की सफाई-घिसाई

नवनीत श्रीवास्तव, अयोध्या

श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की तैयारियां शीघ्र ही रफ्तार पकड़ेंगी। श्रीराम जन्मभूमि न्यास के मॉडल पर ही मंदिर निर्माण होना लगभग तय होने के बाद कार्यशाला में तराशी जा चुकीं शिलाओं की सफाई व घिसाई का काम अब अगले महीने मार्च से शुरू होने की उम्मीद है, जिससे जन्मभूमि पर राममंदिर निर्माण की शुरुआत के लिए तराशी जा चुकी शिलाओं को पूरी तरह तैयार किया जा सके।

घिसाई व सफाई के विशेषज्ञ कारीगरों को लाने के लिए कार्यशाला के सुपरवाइजर अन्नूभाई सोमपुरा अहमदाबाद रवाना भी हो चुके हैं, जहां वह सफाई व घिसाई के विशेषज्ञ कारीगरों से वार्ता करेंगे। अन्नूभाई 12 मार्च को दोबारा अयोध्या लौटेंगे। माना जा रहा है कि उन्हीं के साथ चार से पांच की संख्या में घिसाई व सफाई के विशेषज्ञ कारीगर अयोध्या आएंगे।

तराशे जा चुके हैं एक लाख घनफुट पत्थर : 1990 में स्थापित श्रीराम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में बीते 30 वर्षों से राजस्थान, गुजरात, मीरजापुर और देश के अन्य हिस्सों से आए कारीगर कार्यशाला में करीब एक लाख घनफुट पत्थर तराशने का काम पूरा कर चुके हैं। ये पत्थर भूतल के निर्माण के लिए पर्याप्त हैं। तराशे जा चुके पत्थरों पर काई लग चुकी है। इसीलिए, मंदिर निर्माण आरंभ करने से पहले इन शिलाओं की सफाई व घिसाई होगी, जिससे इन्हें चमकदार बनाया जा सके। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने कहा कि रामभक्तों की प्रतीक्षा अब जल्द पूरी होगी और भव्य श्रीराम का मंदिर बन कर तैयार होगा। किसी भी सूरत में अब मंदिर निर्माण में देरी नहीं होने दी जाएगी।

अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि न्यास कार्यशाला में तराशे गए पत्थरों को निहारती महिलाएं। जागरण

- कार्यशाला के सुपरवाइजर अन्नूभाई सोमपुरा अहमदाबाद रवाना

ऐसा होगा मंदिर

- प्रस्तावित मंदिर 268 फीट लंबा, 140 फीट चौड़ा और 128 फीट ऊंचा होगा
- प्रथम मंजिल की ऊंचाई 18 फीट और दूसरी मंजिल की ऊंचाई 15 फीट नौ इंच होगी
- मंदिर में 212 स्तंभ लगेंगे। प्रथम मंजिल में 106 और इतने ही दूसरी मंजिल पर लगेंगे
- प्रथम मंजिल पर लगने वाले स्तंभों की ऊंचाई 16 फीट तीन इंच और दूसरी मंजिल पर लगने वाले स्तंभों की ऊंचाई 15 फीट नौ इंच होगी।

नागौर में अनुसूचित जाति के युवाओं से मारपीट का मामला विधानसभा में गूंजा

जागरण संवाददाता, जयपुर

- पुलिस अधीक्षक को हटाने की मांग को लेकर भाजपा ने किया बहिष्कार
- पीड़ितों के निजी अंगों में पेट्रोल डालने और पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप

नागौर जिले में दो अनुसूचित जाति के युवकों को बेरहमी से पीटने और निजी अंगों में पेट्रोल डालने का मामला राजस्थान विधानसभा में सोमवार को उठा। भाजपा विधायकों ने इसको लेकर सदन से बहिष्कार किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) विधायकों ने सदन में धरने पर बैठने की चेतावनी दी । भाजपा और रालोपा विधायक नागौर के जिला पुलिस अधीक्षक सहित अन्य जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को हटाने की मांग कर रहे थे ।

शून्यकाल में रालोपा विधायक नरायण बेनिवाल और पुखराज गर्ग ने विधानसभा में उक्त मामला उठाया। उन्होंने इसमें जिला पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदार ठहराते हुए पद से हटाने और पीड़ितों को राहत पैकेज देने की मांग की है। नारायण बेनीवाल ने कहा कि दोनों पीड़ित युवकों के साथ दबंगों ने 16 फरवरी को मारपीट कर उनके निजी अंगों में पेट्रोल डाला । वे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो सुनवाई नहीं हुई। इसके तीन दिन बाद 19 फरवरी को पुलिस अधिकारियों ने दोनों भाईयों को पांथोड़ी पुलिस थाने में बुलाकर आरोपितों से समझौता कराने का दबाव बनाया । दोनों भाई समझौते के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर आरोपितों के खिलाफ सामान्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया । मामला सार्वजनिक हुआ तो पुलिस हरकत में आई । उन्होंने कहा कि यदि पुलिस इस मामले में गंभीर होती तो पीड़ितों को पहले ही न्याय मिल जाता। भाजपा विधायकों ने बजट पर बहस के दौरान आरोप लगाया कि पुलिस अधीक्षक इस मामले को दबाने में जुटे रहे ।

उल्लेखनीय है कि घीसाराम और पन्नालाल दो चचेरे भाई अपनी बाइक की सर्विस कराने गए थे । सर्विस सेंटर में चोरी का आरोप लगाते हुए भींव सिंह एवं उसके साथियों ने दोनों के साथ मारपीट की। पेंचकस पर पकड़ा लपेट और उस पर पेट्रोल डाल निजी अंग में डाला।

सत्तारूढ़ दल के विधायक ने ही लगाया भ्रष्टाचार का आरोप : राज्य विधानसभा में सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह ने प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया । उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव से लेकर उपखंड स्तर पर तैनात एसडीएम तक भ्रष्टाचार कर रहे हैं ।

झारखंड में भाजपा विधायक दल के नेता बने बाबूलाल मरांडी

राज्य ब्यूरो, रांची

भाजपा में शामिल होने के ठीक एक सप्ताह बाद बाबूलाल मरांडी की पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में सोमवार को विधिवत ताजपोशी हुई। केंद्रीय पर्यवेक्षक पी मुरलीधर राव की उपस्थिति में भाजपा विधायकों ने सर्वसम्मति से मरांडी के नाम पर मुहर लगाई। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा समेत पार्टी के 25 विधायक मौजूद थे। विधायक ढुलू महतो को छोड़कर भाजपा के सभी विधायकों ने इस मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मरांडी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने की लिखित सूचना विधानसभा सचिवालय को भी दे दी गई है।

भाजपा विधायक दल के नेता के चयन के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्ति किया था। दोपहर 1.30 बजे शुरू हुई भाजपा विधायकों की बैठक में विधायक अनंत ओझा ने बतौर प्रस्तावक बाबूलाल मरांडी का नाम प्रस्तावित किया। सभी विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन हाथ उठा कर किया और केंद्रीय पर्यवेक्षक ने भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी के नाम की घोषणा की। विधायकों ने हस्ताक्षर कर अपनी लिखित सहमति भी बाबूलाल मरांडी के नाम पर दी। मरांडी के नाम की घोषणा के साथ ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया।

इस मौके पर बाबूलाल मरांड ने कहा कि मैं जनता के बीच घूमकर पार्टी की सेवा करना चाहता था, परंतु पार्टी ने मुझे जो दायित्व सौंपा है, मैं उसके प्रति हृदय से आभारी हूं। सबका प्यार व सहयोग बना रहे, वही हमारी ताकत होगी।

उत्तराखंड और उप्र का परिवहन विवाद जल्द सुलझाएगा केंद्र

जासं, नैनीताल: उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिवहन निगम की परिसंपत्तियों के बंटवारे व बकाया भुगतान के मामले को सुलझाने में तेजी लाएगी। केंद्रीय अनुसचिव परिवहन सुदीप दत्ता ने नैनीताल हाई कोर्ट को यह जानकारी दी। साथ ही अवगत कराया कि इस मसले पर दोनों राज्यों के प्रमुख सचिवों के साथ बैठक कर एक महीने में रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 24 मार्च को तय की है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान नैनीताल हाई कोर्ट ने दत्ता को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। इस कड़ी में सोमवार को अनुसचिव कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि सप्ताहभर में वह दोनों प्रदेशों के प्रमुख सचिवों के साथ बैठक करेंगे। एक माह के भीतर प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में जमा कराएंगे।

बंगाल की सियासत

प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति का बताया जा रहा हिस्सा, बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर अक्सर विरोधी उठाते हैं सवाल

छवि सुधारने को शांतिपूर्ण निकाय चुनाव चाहती है तृणमूल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

2018 के पंचायत चुनाव और पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के समय बंगाल में हुई भारी हिंसा से बिगड़ी अपनी छवि को सुधारने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस शांतिपूर्ण तरीके से नगर निकाय चुनाव चाहती है। इसे तृणमूल के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया जा रहा है। अप्रैल के मध्य में कोलकाता नगर निगम समेत राज्य के 100 से भी अधिक नगर निकायों के चुनाव के आसार हैं। सूबे में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होना है। उससे पहले इसे तृणमूल के लिए 'लिटमस टेस्ट' बताया जा रहा है।

नहीं देना चाहते कोई मुद्दा : पीके जानते हैं कि निकाय चुनाव में भी हिंसा हुई तो विरोधी दलों को बड़ा मुद्दा मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने तृणमूल आलाकमान को सतर्क कर दिया है। तृणमूल भी चाहती है कि निकाय चुनाव शांतिपूर्ण हो ताकि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर फिर से सवाल न उठे। लोकसभा चुनाव के समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के बड़े नेता प्रचार को बंगाल आए थे, तब उन्होंने भी पंचायत चुनाव में हुई हिंसा का हवाला देते हुए बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था, जिसका उन्होंने बंगाल में जबर्दस्त फायदा भी मिला था।

प्रशांत किशोर। फाइल

तृणमूल ने जिलों में भेजे संदेश : तृणमूल की ओर से अपने सभी जिला नेतृत्वों को शांतिपूर्ण चुनाव के बाबत जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्हें कह दिया गया है कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से काम करेगी। उसपर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकेगा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा-'हम निकायों में किए गए अपने विकास कार्यों पर भरोसा रखकर ही चुनाव में उतरेंगे। निकाय चुनाव में भाजपा के पास कोई मसला नहीं है। वह धर्म की राजनीति के आधार पर ही वोट मांगेगी। दूसरी तरफ राज्य में कांग्रेस व वामदल पहले ही हाशिए पर हैं।'

भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ के बाद आगजनी

कोलकाता, राज्य ब्यूरो : बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के मयनागुड़ी इलाके में रविवार रात सात भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। कई भाजपा कार्यकर्ताओं को मारा-पीटा भी गया। घटना के बाद से कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा है। घटना की जानकारी मिलने पर सोमवार को जब भाजपा सांसद डॉ. जयंत कुमार राय पीड़ितों से मिलने घटनास्थल पर जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद सांसद राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रही। आज जब वह अपने कार्यकर्ताओं से मिलने चुड़ाभंडार जा रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया। वहीं जलपाईगुड़ी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण थेंडूप शेरपा ने कहा कि हालात अभी नियंत्रण में है। इलाके में पुलिस को तैनात किया गया है।

आजम खां की तीन मामलों में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, रामपुर

- पांच मामलों में हुई सुनवाई, एक में अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर और दूसरे में गैर जमानती वारंट जारी

दो जन्म प्रमाणपत्र और दो पैन कार्ड मामले में सांसद आजम खां और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है, जबकि शत्रु संपत्ति मामले में अदालत ने सांसद की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इसके अलावा पड़ोसी को धमकाने के मुकदमे में अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए कुर्की से पहले धारा 82 के नोटिस जारी किए हैं। मामले में पांच मार्च को सुनवाई होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि सांसद और उनके परिवार के खिलाफ चल रहे पांच मुकदमों में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई।

बेटे के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में सांसद आजम खां, उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला खां के खिलाफ पिछले साल मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट में पेश न होने पर तीनों के वारंट, गैर जमानती वारंट और कुर्की के नोटिस जारी हो चुके हैं। तीनों ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जो अदालत ने खारिज कर दी है। दूसरा मामला दो पैन कार्ड बनवाने का है। दोनों पैन कार्ड अब्दुल्ला के बने हैं। मामले में पिता-पुत्र की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। तीसरा मामला, आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का है।